राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1962/2016

ओम प्रकाश गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. कलेक्टर (भू–राजस्व), जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से निम्न प्रकार से प्रार्थना की गयी है :–

> "(i) By appropriate orders, directions, instructions letter/ order dated 28.01.2016 be quashed and set aside and respondents be directed to allow the appellant post retiral benefits with all consequential benefits.
>
> (ii) By appropriate, orders, directions, instructions interest @ 18% per anum on the arrears be also awarded to the appellant.
>
> (iii) Any other relief which the Hon'ble Tribunal thinks just and proper in the circumstances of the case be also allowed to humble appellant.
>
> (iv) Exemplary cost of Rs. 50,000/- and Cost of the appeal be also allowed to humble appellant."

2. दौराने बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी को सेवानिवृति लाभ प्रदान किये जा चुके है, परन्तु सेवानिवृति लाभ दिये जाने में अत्यन्त देरी की गयी है। अतः अपीलार्थी देरी से किये गये सेवानिवृति लाभ के भुगतान पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पाते है कि अपीलार्थी को सेवानिवृति लाभ का भुगतान देरी से किये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही है। अतः अपीलार्थी देरी से हुए भुगतान पर ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी

होता है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 89 निम्न प्रकार से हैं :–

> ''(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''

4. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि पेंशन परिलाभ के भुगतान में हुई देरी पर अपीलार्थी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया जावे। इस आदेश की पालना 3 माह में की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)